

## नए वाहन पंजीकरण के लिये FATag वविरण

### प्रिलमिस के लिये:

FASTag, वाहन पोर्टल, NPCI, NIC, NETC

### मेन्स के लिये:

फास्टैग तथा उसका महत्त्व

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नए वाहनों का पंजीकरण करते वक़्त और राष्ट्रीय परमिटि के तहत चलने वाले वाहनों को फटिनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय भी [फास्टैग](#) (FASTag) वविरण दर्ज करने का नरिणय लया है ।

## प्रमुख बदि

- इससे [सुगम आवाजाही/पारगमन की सुवधि](#) के साथ-साथ COVID-19 नरिंत्रण का कार्य भी होगा ।
  - FASTag भुगतान के लिये इलेक्ट्रॉनिकि माध्यम से कोवडि-19 के प्रसार को रोकने में मदद मलिंगी क्यौंकि इससे टोल प्लाजा पर कयि जाने वाले नकद भुगतान से बचा जा सकता है ।
- MoRTH ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) को नरिदेशति कयिा है कविह [वाहन \(VAHAN\) पोर्टल](#) पर इलेक्ट्रॉनिकि टोल संग्रह डविाइस का वविरण सुनश्चिति करे ।
  - VAHAN पोर्टल के साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकि टोल संग्रह (NETC) को पूरी तरह से जोड़ दया गया है ।
  - **VAHAN पोर्टल:** वाहन पंजीकरण सेवा को ऑनलाइन संचालति करने हेतु पोर्टल है ।
  - **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकि टोल संग्रह:** इसे [राष्ट्रीय भुगतान नगिम](#) (NPCI) द्वारा वर्ष 2016 में FASTag का उपयोग करके टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिकि टोल संग्रह के लिये वकिसति कयिा गया था ।

## फास्टैग क्या है?

- [फास्टैग](#) एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटफिकेशन (RFID) कार्ड होता है जसिे वाहन की वडिस्करीन पर लगाया जाता है ।
- वाहनों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटफिकेशन (RFID) कार्ड के रूप में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग (Radio Frequency Tag) जारी कयिा जाता है ।
- प्रत्येक टोल प्लाजा पर एक RFID रीडर लगा होता है जो एक सेंसर के रूप में कार्य करता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा कार्ड की वैधता एवं धनराशि की जाँच करता है ।
- यदिकारड में धनराशि उपलब्ध है तो टोल शुल्क का भुगतान स्वतः ही कार्ड से हो जाता है और वाहन टोल पर रुके बनिा वहाँ से गुज़र जाता है ।
- 1 दसिंबर, 2019 से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थति टोल फ्री प्लाजा पर सभी लेन को 'फास्टैग लेन' (FASTag Lanes) घोषति कर दया गया है ।
  - राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर नरिधारण एवं संग्रह) नयिम, 2008 के अनुसार टोल प्लाजा में फास्टैग लेन केवल फास्टैग उपयोगकर्त्ताओं की आवाजाही के लिये आरक्षति होती है । इस नयिम के अंतर्गत प्रावधान है कवि गैर-फास्टैग उपयोगकर्त्ताओं द्वारा फास्टैग लेन से गुज़रने पर उनसे दोहरा शुल्क वसूला जाता है ।

## स्रोत: पी.आई.बी.

